आय–व्ययक 2015–16

प्रमुख बिन्दु

1– आय

- ❖ वर्ष 2015–16 में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 25777.67 करोड़ की राजस्व आय अनुमानित है।
- ❖ वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक अनुमान में कर राजस्व ₹ 12157.26 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में 23.30 प्रतिशत वृद्धि सहित ₹ 14989.57 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।
- ❖ करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत ₹10788.11 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।
- ❖ वर्ष 2014–15 में कुल ₹ 29825.16 करोड़ प्राप्तियों के अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में कुल प्राप्तियॉ ₹ 32310.07 करोड़ अनुमानित हैं।

2– व्यय

- ❖ वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में कुल ₹ 30353.78 करोड़ व्यय अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में ₹ 32693.64 करोड़ का कुल व्यय अनुमानित है।
- ❖ वर्ष 2015–16 में आयोजनेत्तर व्यय ₹ 21059.15 करोड़ अनुमानित है जो कुल व्यय का 64.41 प्रतिशत है। वर्ष 2014–15 के अनुमान ₹ 18676.55 करोड़ के सापेक्ष आयोजनेत्तर व्यय में ₹ 12.76 प्रतिशत की वृद्धि है।
- ❖ वर्ष 2015– 16 में ₹ 11634.49 करोड़ का आयोजनागत व्यय अनुमानित है।

3– राजकोषीय संकेतक

- ❖ वर्ष 2015–16 में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है अर्थात राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से कम रहना अनुमानित है।
- ❖ राजकोषीय घाटा₹ 4101.78 करोड़ है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.63 प्रतिशत है।
- ❖ राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा के सम्बन्ध में आय–व्ययक 2015–16 के परिणाम राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (एफ0आर0बी0एम0) अधिनियम के लक्ष्यों (राजस्व घाटा शून्य, राजकोषीय घाटा जी0एस0डी0पी0 का 3 प्रतिशत) की सीमान्तर्गत है।

4– अन्य प्रमुख बिन्दु

- राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- राज्य आन्दोलनकारी के कल्याण हेतु ''राज्य आन्दोलनकारी कल्याण कोष'' की स्थापना की गई है।
- वृद्ध महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बढ़ावा दिये जाने हेतु ''मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना'' में धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- जन्म के विकलांग बच्चों को 18 वर्षों की आयु तक 500 रूपये प्रति माह की धनराशि दी जायेगी।
- गाँवों के सड़कों के माध्यम से जोड़ने व पलायन रोकने के दृष्टिगत ''मेरा गाँव मेरी सड़क योजना'' में धनराशि प्राविधानित की गयी है।
- पर्वतीय जनपदों में 500 एवं मैदानी जनपदों में 5000 की जनसंख्या से अधिक के गाँवों में नाली, सड़क, पेयजल आदि के निर्माण /पुनर्निर्माण हेतु कॉपस फण्ड की स्थापना की गई है।

- ''मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना'' हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- वृक्षों एवं पर्यावरण के प्रति स्कूल के बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए ''हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना'' प्रारम्भ की गई है।
- वानरों से फसलों व अन्य क्षतियों को कम करने के लिए ''मानव–वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना'' प्रारम्भ की गई है।
- गंगोलीहाट, चम्पावत, बाजपुर व जखोली में पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना की गई है।
- मुंशी हरि प्रसाद टम्टा जी की स्मृति में गुरूड़ाबाज, अल्मोड़ा में बहुउद्देशीय शिल्प संस्थान योजना प्रारम्भ की गई है।
- लोक गायक/कलाकार कल्याण कोष की स्थापना की जायेगी।
- पारम्परिक वाद यंत्रों के संरक्षण हेतु पेटशाल अल्मोड़ा व टिहरी झील के निकट एक–एक विद्यालय स्थापित किया जायेगा।
- मुनस्यारी स्थित पांगती संग्रहालय व धारचूला के रंग संस्कृति संग्रहालय को एक मुश्त अनुदान दिया जायेगा।
- 80 प्रतिशत व उससे अधिक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों तथा बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना प्रारम्भ की जायेगी।
- ''वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना'' को और व्यापक करते हुए इसमें महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत तक मात्राकरण किया जायेगा।
- पर्वतीय क्षेत्रों के परम्परागत हस्तशिल्प, हथकरघा को प्रोत्साहन देने हेतु मास्टर क्राफ्ट्समैन योजना प्रारम्भ की जायेगी।
- जलागम प्रबन्धन हेतु ''चालखाल योजना'' को प्रारम्भ किया जायेगा।
- राज्य के वरिष्ठ नागरिकों हेतु चिकित्सालयों में बैड आरक्षित किये जायेंगे।
- पिथौरागढ़ जनपद के नबियाल गाँव में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया जायेगा।
- अल्मोड़ा में विज्ञान केन्द्र व विज्ञान पार्क की स्थापना की जायेगी।

- लघु व्यापारियों के कल्याण हेतु ''व्यापारी कल्याण कोष'' की स्थापना की जायेगी।
- राज्य के स्वत्रंता सेनानियों हेतु रु0 10 करोड़ के कोष की स्थापना की जायेगी।
- प्रान्तीय रक्षक दल एव होमगार्डस में महिलाओं हेतु 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
- रामनगर के निकट स्थित सीतावनी को महर्षि बाल्मिकी तीर्थ के रूप में विकसित किया जायेगा।
- अल्मोड़ा में यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु सुरंग का निर्माण किया जायेगा।
- देहरादून–ऋषिकेश–हरिद्वार, रूद्रपुर– लालकुँआ– किच्छा– हल्द्वानी– काठगोदाम के मध्य मैट्रो समान योजना की उपयोगिता के अध्ययन हेतु के कार्य समूह का गठन किया जायेगा।
- कुमाऊँ तथा गढ़वाल में एक–एक बाल्मिकी स्कूल खोले जायेंगे।
- एसिड आक्रमण पीड़ित महिलाओं को राज्य सरकार 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- महिलाओं को स्वव्यवसाय से जोड़ने के लिए ''इन्दिरा प्रियदर्शिनी काम काजी महिला योजना'' प्रारम्भ की जायेगी।
- ईको–टास्क फोर्स में उत्तराखण्ड के गौरिल्लाओं को सम्मिलित किया जायेगा।
- प्रत्येक जिला में ईको ग्राम समूह व ईको पार्क स्थापित किये जायेगे।
- मडुआ, अनार दाना, फाफर, चौलाई, के उत्पादन पर बोनस दिया जायेगा।
- कृषि की नाप भूमि में चीड़ के पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
- दुग्घ समिति को चिलिंग प्लाट हेतु एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जायेगा।

- दुग्ध संघ द्वारा बैंक से लिए गये ऋण में देय ब्याज पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
- देहरादून, हल्द्वानी एवं पिथौरागढ़ में फिजियोथेरेपी व पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
- भगवानपुर एवं पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी।
- दून विश्वविद्यालय व कुमॉऊ विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में स्कूल ऑफ लोकल लैंगवेज स्थापित किये जायेंगे।
- राज्य की अलग पहचान हेतु राज्य गीत व हैड गेयर का चयन किया जायेगा।
- राज्य के पत्रकारों व आश्रितों की सहायता हेतु गठित कॉर्पस फण्ड को डेढ़ गुना किया जा रहा है।
- राज्य के पत्रकारों हेतु पेंशन योजना प्रारम्भ की जायेगी।
- द्यारा बुग्याल उत्तरकाशी, खलियाटाप मुन्स्यारी को स्कींग केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।
- राज्य के अधिवक्ताओं हेतु ''अंशदायी बीमा योजना'' प्रारम्भ की जायेगी।
- हल्द्वानी में स्थित राज्य के एकमात्र राजकीय महिला कालेज को इंदिरा प्रियदर्शिनी राजकीय कॉलेज ऑफ कामर्स के रूप में स्थापित किया जायेगा।

———